फर्द अहकाम

श्रीमति रामप्यारी बनाम गोपाल

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या– 61/2017

10/11/2021

पत्रावली वास्ते प्राथमिक डिकी आदेश पेश हुई। पत्रावली का गहन अध्ययन कर यह पाया गया कि वादी द्वारा यह वाद बाबत तकासमा पेश किया है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तकासमा केवल सहखातेदारों के मध्य होता है। पत्रावली में पेश जमाबंदी का अवलोकन कर यह पाया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 6 में से किसी का नाम भी जमाबंदी में अंकित नही है। अतः इनमें से कोई भी पक्षकार फिलहाल इस विवादग्रस्त भूमि में सह खातेदार नहीं है। वाद पत्र में वादी द्वारा यह अंकित है कि विवादग्रस्त भूमि उनके पिता कि अविभाजित भूमि है, क्योंकि भूमि अभी उनके पिता के नाम दर्ज है इसलिये तकासमें से पूर्व इस भूमि के खातेदारों की घोषणा जरिये विरासत नामांकरण या बाबत घोषणा धारा 188 होनी जरूरी है। उसके उपरान्त ही इस भूमि का तकासमा सहखातेदारों के मध्य किया जा सकता है।

अतः इन पक्षकारों के मध्य वाद बाबत तकसमा पोषनीय नही है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है।

अरशदीप बराड़ (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.17 15:09:44 IST
Reason: SelfAttested